पर्चा डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 163 / 2022

अनवान : —

1. सरीता पुत्री भजनलाल पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
2. मंजू पुत्री भजनलाल पत्नी सन्दीप जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
3. सुनीता पुत्री भजनलाल पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. भजनलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी करनपुरा त0 भादरा।
2. शर्मीला पुत्री भजनलाल पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचंद शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा ग्राम करनपुरा के खाता सं0 189 / 169 के खसरा सं0 140, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 183, 184 की कुल 11.8490है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भजनलाल के नाम 1 / 2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भजनलाल की बजाए वादी सं0 1 सरीता, वादी सं0 2 मंजू वादी सं0 3 सुनीता प्रतिवादी सं0 1 भजनलाल तथा प्रतिवादी सं0 2 शर्मीला को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला हनुमानगढ़)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —163/2022

अनवान : —

1. सरीता पुत्री भजनलाल पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
2. मंजू पुत्री भजनलाल पत्नी सन्दीप जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
3. सुनीता पुत्री भजनलाल पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. भजनलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी करनपुरा त0 भादरा।
2. शर्मीला पुत्री भजनलाल पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री कपूरचन्द शर्मा वादीगण
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादीगण

**निर्णय** दिनांक: 23/8/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम करनपुरा के खाता सं0 189/169 के खसरा सं0 140, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 183, 184 की कुल 11.8490है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भजनलाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा रामलाल की खातेदारी हुआ करती थी। रामलाल के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में सरीता पुत्री भजनलाल के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी यथा चालू तथा पैतृक प्रदर्श 1 व 2 तथा वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा ग्राम करनपुरा के खाता सं0 189/169 के खसरा सं0 140, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 183, 184 की कुल 11.8490है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भजनलाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदियों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। चूंकि प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार भजनलाल के इन चार के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम करनपुरा के खाता सं0 189/169 के खसरा सं0 140, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 183, 184 की कुल 11.8490है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भजनलाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भजनलाल की बजाए वादी सं0 1 सरीता, वादी सं0 2 मंजू वादी सं0 3 सुनीता प्रतिवादी सं0 1 भजनलाल तथा प्रतिवादी सं0 2 शर्मीला को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़